***जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनाँक 17.11.2024***

***थाना धनघटा पुलिस द्वारा सोशल मीडिया(इंस्टाग्राम) पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाली युवती को मात्र 14 मिनट में उसके घर अविलम्व पहुँचकर बचाई गई जान***

दिनांक 16.11.2024 की रात्रि 10.41PM बजे आत्महत्या सम्बन्धी पोस्ट फोटो वीडियो पर मेटा कम्पनी से अलर्ट प्राप्त होने के उपरान्त सोशल मीडिया सेल द्वारा आत्महत्या के सम्बन्ध में वीडियो मो0नं0 व लोकेशन उपलब्ध करायी गयी थी जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री अनिल कुमार, म0का गुंजन पाण्डेय, म0का0 दामिनी सिंह मौके पर आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया। जिसके क्रम में उनके द्वारा मात्र 14 मिनट में ही पहुँचकर इन्ट्राग्राम पर आत्महत्या के सम्बन्ध में पोस्ट करने वाली 23 वर्षीय युवती निवासी औराडांड (बजड़हा) थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर के घर अविलम्व पहुंचकर जान बचायी गयी तथा उसकी काउंसलिंग प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री अनिल कुमार, म0का गुंजन पाण्डेय, म0का0 दामिनी सिंह द्वारा की गयी काउंसलिंग के दौरान पीड़िता ने प्रेम प्रसंग में विवाद के उपरान्त सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) प्लेटफार्म पर फांसी लगाकर आत्महत्या करने के सम्बन्ध में पोस्ट किया गया था। युवती को उसके परिजनों को सुपुर्द करते हुए मुनासिब हिदायत दी गयी । युवती द्वारा दोबारा ऐसी हरकत न करने के सम्बन्ध में लिखित व मौखिक बयान दिया गया परिजनों ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा की गयी त्वरित कार्यवाही की भूरि-भूरि प्रशन्सा की गयी तथा आभार जताया गया ।

***पुलिस टीम का विवरण***

01. प्रभारी निरीक्षक धनघटा श्री अनिल कुमार।

02. म0का गुंजन पाण्डेय।

03. म0का0 दामिनी सिंह।

***शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 01 अभियुक्त गिरफ्तार***

- *थाना बखिरा पुलिस द्वारा* 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

***पीआरवी आफ द डे***

***पीआरवी 1496 द्वारा दो पक्षो के मारपीट में घायल 01 महिला को भेजवाया गया अस्पताल–*** पीआरवी 1496 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत नौवागांव से इवेंट सं0 42720 कालर ने मो0न0- 7980692104 से कालर जाफर अहमद द्वारा दो पक्षो के मारपीट में 01 महिला (खुशमिदा पत्नी जाफर अहमद ग्राम नौवागांव थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर) के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुई महिला को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी सेमरियावां भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुंचकर मारपीट में घायल हुई महिला को ईलाज हेतु अस्पताल भेजवाया गया जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।
***पीआरवी स्टाफ-* का0 गौतम कुमार, हो0चा0 बृजेश यादव।**

***मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 82 वाहनों से 1,0,1000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया***

आज दिनांक 17.11.2024 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 82 वाहनों से 1,01000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

***थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए युवती को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के मामले मे वाँछित अभियुक्त गिरफ्तार***

जनपद में ***मिशन शक्ति अभियान*** के अन्तर्गत महिलाओं पर अपराधों के रोकथाम हेतु पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सुशील कुमार सिंह*** के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी कोतवाली खलीलाबाद ***श्री अजीत चौहान*** के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली खलीलाबाद ***श्री सतीश कुमार सिंह*** के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा मु0अ0सं0 883/2024 धारा 137(2),87 बीएनएस के मामले मे वांछित अभियुक्त नाम पता सोनू खाँ पुत्र असलम निवासी शिवपुर थाना शिवपुर जनपद वाराणसी को आज दिनांक 17.11.2024 को नेदुला चौराहे के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी द्वारा दिनांक 16.11.2024 को थाना कोतवाली खलीलाबाद पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा महिला अपराध की संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्यवाही कर साक्ष्य संकलन करते हुए उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-*** उ0नि0 श्री अजीत सिंह, का0 श्यामनारायण,का0 सुरेश प्रसाद।

***थाना बखिरा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए गैर इरादतन हत्या के मामले में वांछित अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार***

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के निर्देशन में जनपद संतकबीरनगर में अपराध एवं अपराधियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर ***श्री शशि शेखर सिंह*** के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी मेहदावल ***श्री केशवनाथ*** के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष बखिरा ***श्री श्याम मोहन*** के नेतृत्व मे गठित टीम द्वारा आज दिनांक 17.11.2024 को मु0अ0सं0 264/2024 धारा 105,115(2),352,191(2) बी0एन0एस0 मे वांछित अभियुक्त प्रदीप कुमार पुत्र राजाराम निवासी ग्राम सिहटीकर थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को सिहटीकर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

विदित हो कि वादी राजित द्वारा थाना बखिरा पर दिनांक 20.08.2024 को उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध पिता और भतीजे को बुरी तरह से मारने पीटने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देकर मु0अ0सं0 264/2024 धारा 105,115(2),352,191(2) बी0एन0एस0 पंजीकृत कराया गया था। ईलाज के दौरान वादी के पिता की मृत्यु हो गयी। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना बखिरा पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए उक्त अभियुक्त को आज दिनांक 17.11.2024 को सिहटीकर पुलिया के पास से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय भेजा गया।

***गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण-***

उ0नि0 श्री विनोद कुमार यादव, का0 अमित कुमार।